गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.01.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.01.2023 को प्रातः 09:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
4.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	डॉ० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
9.	प्रो० सी.एस. वझलवार	सदस्य
10.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
11.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
12.	डॉ० बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
13.	डॉ० एस.के. प्रजापति	सदस्य
14.	डॉ० बी.आर. रावटे	सदस्य
15.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा
2. प्रो० सीमा राय

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा समस्त सदस्यों से विश्वविद्यालयीन विकास कार्यों में गति लाने एवं इस हेतु सार्थक, परिणामोन्मुखी प्रयास करने का आव्हान किया गया एवं विश्वविद्यालय के उत्तरोत्तर प्रगति हेतु मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्रदान किया गया। तदोपरान्त निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.01.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.01.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.01.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.01.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

24/01/2023

24/01/23

विषय क्र. 03 **शिक्षा विभाग के विभिन्न पाठ्यक्रम, प्री–पी.एचडी कोर्स वर्क, बी.एड., एम.एड., बी.एड. विशेष शिक्षा, अधिगम अक्षमता, बी.एड. विशेष शिक्षा श्रवण बाधिता 2022–23 के अनुमोदन एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बैठक के दौरान सुझाये गये संशोधनों के साथ प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम के अध्यादेश प्रारूपण एवं अंक योजना में परीक्षा नियंत्रक का अभिमत आवश्यक रूप से लिया जाये।

विषय क्र. 04 **छात्रा रितू गोंड को एमसीए एससी/एसटी वर्ग में सत्र 2019–20 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के कारण स्व. श्रीमती शारदा प्रो. मनोरंजन प्रसाद सिन्हा स्मृति स्वर्ण मुद्रित पदक प्रदान करने पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रकरण के सूक्ष्म परीक्षण एवं तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत कराने तथ्यात्मक जांच समिति का गठन किया जाय।

समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 05 **आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ समिति की 15वीं बैठक दिनांक 02.01.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ समिति की 15वीं बैठक दिनांक 02.01.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 06 **उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा संसाधनों के Optimal Utilization पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा निर्देश पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा संसाधनों के Optimal Utilization पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा निर्देश को अंगीकृत किया जाय एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त प्रयोजन से पूर्व में गठित समस्त समितियां इन्हीं दिशा–निर्देशों के प्रकाश में कार्य करेंगी।

विषय क्र. 07 **अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 11.01.2023 के कार्यवृत्त पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 11.01.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 08 **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय में नवीनतम तकनीकी से पूर्ण केन्द्रीय Animal House अनुसंधान बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव विचार किये जाने बाबत्।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय में नवीनतम तकनीकी से पूर्ण केन्द्रीय Animal House अनुसंधान बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्ताव को स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं साथ ही साथ अन्य फंडिंग एजेंसियों को भी स्वीकृति हेतु प्रेषित किय जाने की कार्यवाही की जाय।

24/01/2023

24/01/23

विषय क्र. 09 **डॉ0 राघवेन्द्र सिंह ठाकुर, सह–आचार्य, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा Swayam NPTEL online Course करने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदाय करने बाबत्।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय का कार्य एवं प्रदत्त समस्त दायित्व प्रभावित न होने की शर्त पर डॉ0 राघवेन्द्र सिंह ठाकुर को अनुमति प्रदान की जाय। इस हेतु पृथक से कोई अवकाश देय नहीं होगा।

विषय क्र. 10 **डॉ0 ज्योति वर्मा, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से PG diploma in Sustainability Science सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय बाबत्।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय का कार्य एवं प्रदत्त समस्त दायित्व प्रभावित न होने की शर्त पर डॉ0 ज्योति वर्मा को अनुमति प्रदान की जाय। इस हेतु पृथक से कोई अवकाश देय नहीं होगा।

विषय क्र. 11 **डॉ0 अर्चना यादव, सहायक प्राध्यापक, समाज कार्य द्वारा NIMHANS, बैंगलुरू में आयोजित ऑन–लाईन सर्टिफिकेट कोर्स में सम्मिलित होने की अनुमति बाबत्।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय का कार्य एवं प्रदत्त समस्त समस्त दायित्व प्रभावित न होने की शर्त पर डॉ0 अर्चना यादव को अनुमति प्रदान की जाय। इस हेतु पृथक से कोई अवकाश देय नहीं होगा।

विषय क्र. 12 **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में मध्य भारत में खाद्य प्रसंस्करण सेवा एवं फूड पार्क हेतु केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में मध्य भारत में खाद्य प्रसंस्करण सेवा एवं फूड पार्क हेतु केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं इसे संबंधित विभाग/एजेंसी को प्रेषित किया जाय।

विषय क्र. 13 **जवाहर सदन अतिथि गृह एवं सम्राट समुद्रगुप्त अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह के संचालन हेतु नियमावली बनाने पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि जवाहर सदन अतिथि गृह एवं सम्राट समुद्रगुप्त अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह के संचालन हेतु प्रस्तावित नियमावली का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 14 **बी.टेक प्रोग्राम में विश्वविद्यालय स्तर आयोजित लोकल/स्पॉट राउण्ड कॉउन्सिलिंग के उपरांत रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु जारी दिशा–निर्देश संज्ञान पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बी.टेक प्रोग्राम में विश्वविद्यालय स्तर आयोजित लोकल/स्पॉट राउण्ड कॉउन्सिलिंग के उपरांत रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु जारी दिशा–निर्देश संज्ञान लेकर कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विधि विभाग यदि रिक्त सीटों पर प्रवेश देना चाहता हो तो समान प्रक्रिया में कार्यवाही सम्पन्न करा ले।

विषय क्र. 15 **अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 19.01.2023 के कार्यवृत्त पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 19.01.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

24/01/2023

24/01/23

विषय क्र. 16 विद्यापीठ मण्डल कला की बैठक दिनांक 13.01.2023 के कार्यवृत्त पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विद्यापीठ मण्डल कला की बैठक दिनांक 13.01.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र. 01 स्थायी समिति के समक्ष अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के द्वारा दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये प्रथम एम.टेक अध्यादेश में संशोधन तथा द्वितीय अकादमिक कैलेण्डर 2022–23 में संशोधन।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार प्राप्त दोनों प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र. 02 पूज्य सिंधी सेन्ट्रल पंचायत से प्राप्त पत्र दिनांक 11.01.2023 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के सक्षम प्रस्तुत किया गया। पूज्य सिंधी सेन्ट्रल पंचायत में उक्त पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय में सिंधी भाषा में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का अनुरोध किया है।

प्राप्त पत्र पर चर्चा उपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में सिंधी भाषा केन्द्र खोले जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाय। स्थायी समिति सिंधी भाषा केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सिंधी भाषा केन्द्र खोले जाने के लिए आवश्यक प्रस्ताव प्रारूपित करने एवं शेष कार्यवाही सम्पादित करने हेतु अधिष्ठाता कला विद्यापीठ को अधिकृत करती है।

अ.अ.वि.क्र. 03 बी.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणामों से संबंधित प्रकरण पर चर्चा की गई एवं स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 24/गोपनीय/2023 दिनांक 11.01.2023 के माध्यम से गठित समिति से प्राप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय तथा वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष एवं परीक्षा नियंत्रक मिलकर प्रकरण को निराकृत करने संबंधी कार्यवाही सम्पन्न करायें।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

24/01/23 | 24/01/2023

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव | **कुलपति/अध्यक्ष**